

न्यूज़क्लिक पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: सम्यक प्रक्रिया का पालन

यह एडिटरियल 17/5/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ["SC verdict on NewsClick shows adherence to due process is much more than a procedural requirement"](#) लेख पर आधारित है। इसमें 'न्यूज़क्लिक' के संस्थापक-संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय पर चर्चा की गई है, जिसने किसी सभ्यता की परपिक्वता के आकलन में समय की कसौटी पर खरे उतरे मानदंड के रूप में वधि की सम्यक प्रक्रिया के महत्त्व पर बल दिया है।

प्रलिमिस के लिये:

[वधिविरोध करिया-कलाप \(नवारण\) अधनियिम, 1967](#), [अनुच्छेद 22\(1\)](#), [वधि की सम्यक प्रक्रिया](#), [आतंकवाद नवारण अधनियिम \(POTA\), 2002](#), [ए के गोपालन केस \(1950\)](#), [मेनका गांधी केस \(1978\)](#), [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#), [वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक](#)

मेन्स के लिये:

पुरकायस्थ की गरिफ्तारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, वधिविरोध करिया-कलाप (नवारण) अधनियिम, 1967 एवं वधि की सम्यक प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ

पछिले वर्ष दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ को गरिफ्तार कर लिया था, जहाँ उन पर आरोप लगाया कि वह कथित तौर पर चीन द्वारा वतितपोषति अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से 'भारत की संप्रभुता को बाधति करने' का प्रयास कर रहे हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ को हरिसत से रहि करने का आदेश दिया, जहाँ न्यायालय ने यह माना कि दिल्ली पुलिस द्वारा [वधिविरोध करिया-कलाप \(नवारण\) अधनियिम \(Unlawful Activities Prevention Act- UAPA\), 1967](#) के तहत उनकी गरिफ्तारी एवं रमिंड "वधि के दृष्टिकोण से अवैध" है।

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पुष्टि की कि लिखित रूप में आधारों को बताने की आवश्यकता नरिध या हरिसत (detention) के मामले में भी समान रूप से लागू होती है। इसने इस बात पर बल दिया कि जाँच एजेंसी या पुलिस द्वारा लिखित रूप में गरिफ्तारी या हरिसत के आधारों को बताना "अनुल्लंघनीय है और किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।"

नरिणय में वधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिये उचित प्रक्रिया एवं सम्यक प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, विशेष रूप से कठोर UAPA मामलों में, जहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रतिलोम भार अभ्युक्त पर रखा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ की गरिफ्तारी को अवैध क्यों ठहराया?

गरिफ्तारी का आधार नहीं बताया गया:

- न्यायालय ने कहा कि इस मामले में **गरिफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किये गए थे**, जो गरिफ्तारी को अवैध साबति करता है और अपीलकर्ता **पंकज बंसल मामले (2023) के नरिणय** के दृष्टांत पर हरिसत से रहिई का हकदार है। पंकज बंसल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गरिफ्तारी के आधार आरोपी को लिखित रूप में प्रदान किये जाने चाहिये।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि "गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार भारत के संविधान के [अनुच्छेद 22\(1\)](#) से प्राप्त होता है और इस मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन गरिफ्तारी एवं रमिंड की प्रक्रिया को अवैध कर देगा।"

गरिफ्तारी के कारणों की एक प्रतीपाना मूल अधिकार है:

- नरिणय में कहा गया, "न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि UAPA के प्रावधानों के तहत अपराध का कृत्य करने के आरोप में या किसी अन्य अपराध के लिये गरिफ्तार किये गए किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किये जाने का मूल एवं सांविधिक अधिकार प्राप्त है तथा गरिफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रतीगरिफ्तार व्यक्ति को बना किसी अपवाद के शीघ्रतशीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिये।"

अपनाई गई प्रक्रिया प्रच्छन्न या संदिग्ध है:

- मामले के तथ्य बताते हुए पीठ ने कहा कि FIR की प्रतीपीलकर्ता के साथ साझा नहीं की गई, जब तक कि रमिंड आदेश पारति नहीं हो

गया।

- नरिणय में कहा गया कि यह पूरी कार्रवाई प्रच्छन्न (clandestine) तरीके से की गई और यह वधि की सम्यक प्रक्रिया की उपेक्षा करने का मंशापूर्ण प्रयास था जहाँ आरोपी को उसकी गरिफ्तारी के आधार के बारे में बताए बिना पुलिस हरिसत में रखा गया, पुलिस हरिसत रमिंड के लिये प्रार्थना का वरीध करने एवं जमानत मांगने के लिये अपनी पसंद के वधि व्यवसायी की सेवाओं का लाभ उठाने के अवसर से आरोपी को वंचित किया गया और न्यायालय को गुमराह किया गया।

■ FIR कोई 'एनसाइकलोपीडिया' नहीं है:

- नरिणय में यह भी कहा गया है कि वधि में यह बात सुस्थापित है कि FIR कोई 'एनसाइकलोपीडिया' नहीं है (यानी इसमें हर वविरण दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है) और इसे केवल आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गत देने के लिये दर्ज किया जाता है। जाँच अधिकारी के पास मामले की जाँच करने और सभी प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का अधिकार है, जो संबंधित न्यायालय में आरोप-पत्र दाखल करने का आधार बनेगी।
- गरिफ्तारी के लखिति आधारों में गरिफ्तार अभयुक्त को वे सभी बुनयादी तथ्य बताए जाने चाहिये, जनिके आधार पर उसे गरिफ्तार किया जा रहा है, ताकि उसे हरिसत में भेजे जाने के वरिद्ध अपना बचाव करने और जमानत मांगने का अवसर मलि सके।
- इस प्रकार, 'गरिफ्तारी का आधार' हमेशा अभयुक्त के लिये व्यक्तगित होगा और इसे 'गरिफ्तारी के कारण' के समान नहीं माना जा सकता, जो प्रकृत में सामान्य होते हैं।

वधि की सम्यक प्रक्रिया:

■ अर्थ:

- **वधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process of law)** राज्य द्वारा किसी मामले से संबंधित सभी वधिक नयिमों एवं सदिधांतों को लागू करना है, ताकि किसी व्यक्त को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जा सके।
- सम्यक प्रक्रिया देश की वधि की शक्ति को संतुलित करती है और व्यक्त की इससे रक्षा करती है। जब कोई सरकार वधि के नरिधारित मार्ग का पालन किये बिना किसी व्यक्त को हानि पहुँचाती है तो यह सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है, जो वधि के शासन का तरिस्कार करता है।

■ महत्त्व:

- इसमें नषिपक्षता, तरकसंगतता, न्यायसंगतता और गैर-स्वेच्छाचारिता का अधिकार शामिल है।
- वधि की प्रक्रिया में शामिल कोई भी असमता अवैध मानी जाएगी।
- इस आधार पर कोई भी वधि पारित करते समय न्यायालय अपनी वधायी बुद्धि का प्रयोग करता है।
- वधि की सम्यक प्रक्रिया व्यक्तगित अधिकारों को महत्त्व देती है।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय को कोई वधि पक्षपातपूर्ण लगती है तो वह उसे नरिस्त घोषित कर देगा।
- राज्य द्वारा स्वीकृत प्राप्त किसी वधि को मूल प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया जाना चाहिये।
- भारतीय संवधान में वधि की सम्यक प्रक्रिया शब्द को कहीं भी परभाषित नहीं किया गया है।

■ ऐतहासिक पृष्ठभूमि:

- 'सम्यक प्रक्रिया' (due process) शब्द का प्रयोग पहली बार बरिटिश राजा एडवर्ड तृतीय की संवधि में किया गया था।
- अमेरिकी संवधान के पाँचवें संशोधन (1791) द्वारा पहली बार संवधान में 'सम्यक प्रक्रिया' की अवधारणा को पेश किया गया।
- वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक सरकार से उन सभी वधियों को रद्द करने के लिये कहा जो राज्य के अधिकारियों को बिना सम्यक प्रक्रिया के लोगों को गरिफ्तार करने या हरिसत में लेने की अनुमति देते थे। बाल गंगाधर तलिक और महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण वधियों के वरिद्ध अपने बचाव में सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा का सहारा लिया था।
- 17 मार्च 1947 को संवधान सभा को मूल अधिकार उप-समिति के सदस्य के.एम. मुंशी से एक नोट प्राप्त हुआ। इसमें एक मसौदा उपबंध शामिल था: "किसी भी व्यक्त को वधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- बी.एन. राऊ (B N Rau) ने सम्यक प्रक्रिया के स्थान पर 'वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्द का प्रस्ताव रखा।

■ केस लॉ के माध्यम से विकास:

- स्वतंत्रता के बाद ए.के. गोपालन (1950) से लेकर ए.डी.एम. जबलपुर (1976) मामले तक, अपने वभिन्न प्रतगामी नरिणयों में सर्वोच्च न्यायालय ने वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के शाब्दिक अर्थ पर अत्यधिक बल देकर सम्यक प्रक्रिया को कमजोर करने में योगदान दिया।
- न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले (1970) में अपना रुख बदला और सम्यक प्रक्रिया को संपत्तिके अधिकार तक वसितारित कर दिया।
- मेनका गांधी (1978) मामले में न्यायमूर्ति फजल अली की असहमत बहुमत की राय बन गई और सम्यक प्रक्रिया को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंग के रूप में न्यायिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई। अब प्रत्येक वधिका उचित, न्यायसंगत, नषिपक्ष और गैर-स्वेच्छाचारी होना आवश्यक है।

UAPA, 1967 वधि की सम्यक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से किस प्रकार चलाजनक है?

■ UAPA के प्रावधान नयिमति आपराधिक वधि से भिन्न हैं:

- रमिंड आदेश सामान्य 15 दिनों के बजाय 30 दिनों का हो सकता है और आरोपपत्र दाखल करने से पहले न्यायिक हरिसत की अधिकतम अवधि सामान्य 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों की जा सकती है।
 - प्रमोद सगिला (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नवारिक नरिध वधियों को औपनिवेशिक वरिसत का बताया, जिसके दुरुपयोग की प्रबल संभावना बनी रहती है। न्यायालय ने कहा कि हर प्रक्रियागत आवश्यकता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

■ जमानत प्रावधानों को लेकर ववाद :

- अधिनियम की धारा 43D(5) के तहत किसी संदिग्ध को जमानत नहीं दी जा सकती, यदि न्यायालय की राय में यह मानने के उचित आधार मौजूद हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।
- उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के न्यायालय को संलग्न किये बनी यह सदिध करने का उत्तरदायित्व आरोपी पर रखा गया है कि मामला झूठा है। यही कारण है कि मानवाधिकार रक्षकों को लगता है कि यह प्रावधान कठोर है, जो किसी भी व्यक्तियों के लिये मुकदमा पूरा होने तक जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव बना देता है।
- समय के साथ अधिनियम के दायरे में वृद्धि:
 - इसके वर्तमान स्वरूप में (अधिनियम में वर्ष 2004 और 2013 में संशोधन के बाद) संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने, आतंकवादी कृत्यों एवं गतिविधियों के लिये दंडित करने, आर्थिक सुरक्षा (जिसमें राजकोषीय एवं मौद्रिक सुरक्षा, खाद्य, आजीविका, ऊर्जा, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा शामिल है) सहित देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले कृत्यों और आतंकवादी उद्देश्यों के लिये धन के उपयोग (धन शोधन सहित) को रोकने के प्रावधान शामिल हैं।
 - पूर्व में संगठनों पर दो वर्ष के प्रतिबंध का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2013 से प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
 - **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA), 2002** को नरिस्त किये जाने के बाद आतंकवादी कृत्यों को UAPA के अंतर्गत लाने के लिये इसके दायरे का विस्तार किया गया।
- लंबित मामलों की संख्या:
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के अनुसार वर्ष 2021 में ऐसी वधियों के तहत 12,000 से अधिक लोग जेलों में बंद थे और वर्ष 2022 में जेल में बंद 76% लोग वधिराधीन क़ैदी थे।
 - UAPA के केवल 18% मामलों में ही दोषसदिध हो सकी और न्यायालयों में UAPA के 89% मामले लंबित पड़े हैं।

वधिका की सम्यक प्रक्रिया के ढाँचे के भीतर राज्य सुरक्षा को कैसे संतुलित किया जाए?

- स्पष्ट वधिक ढाँचा:
 - ऐसी वधियाँ बनाई जाएँ जो सुरक्षा के नाम पर राज्य की कार्रवाइयों की सीमाओं एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये ये वधियाँ सुपरिभाषित होनी चाहिये।
 - सुरक्षा वधिन में बदलावों की नगिरानी एवं अनुशंसा करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन किया जाए।
- न्यायिक नगिरानी:
 - राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्रवाइयों की समीक्षा एवं जाँच के लिये न्यायिक नगिरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। न्यायालयों के पास हरिसत और अन्य सुरक्षा उपायों की वैधता की जाँच कर सकने का अधिकार होना चाहिये।
 - UAPA जैसी वधियों के तहत हरिसत के मामलों पर विचार करने के लिये एक न्यायिक समीक्षा समिति की स्थापना की जाए।
- स्वतंत्र नगिरानी नकियाय:
 - सुरक्षा संबंधी वधियों के क्रयान्वयन की नगिरानी करने और दुरुपयोग की जाँच करने के लिये स्वतंत्र नकियायों की स्थापना की जानी चाहिये। इन नकियायों के पास राज्य प्राधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार होना चाहिये।
 - सुरक्षा कार्यों की नगिरानी में **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका को सशक्त किया जाना चाहिये।
- मानवाधिकार प्रशिक्षण:
 - वधिप्रवर्तन अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा बनाए रखते हुए मानवाधिकार मानकों का पालन करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के महत्त्व को समझने के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
 - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के सहयोग से वधिप्रवर्तन अधिकारियों के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक भागीदारी:
 - सुरक्षा नीतियों और अधिकारों पर उनके प्रभाव के बारे में होने वाले वमिर्श में नागरिक समाज एवं आम लोगों को संलग्न किया जाए। इससे अधिक संतुलित और व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियाँ बनाने में मदद मिल सकती है।
 - **MyGov** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुरक्षा नीतियों पर सार्वजनिक परामर्शों एवं मंचों की सुविधा प्रदान की जाए।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:
 - **UNESCO** और अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूहों जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
 - **पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र कार्ययोजना (UN Plan of Action on the Safety of Journalists)** का उद्देश्य पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के लिये स्वतंत्र एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

नषिकर्ष

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उसे यह सुनिश्चित करने के लिये नरिंतर प्रयास करना चाहिये कि वधियाँ, विशेष रूप से UAPA जैसी कठोर वधि, व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर हावी न हों। भारत के वधिक एवं संवैधानिक लोकाचार में राज्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन होना चाहिये। यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये आवश्यक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक सभ्यता की परिक्रमता एवं अखंडता के लिये भी आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: इस बात का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि भारत में नविकर नरीध कानूनों का नरिंतर अस्तित्व एवं उपयोग देश में वधिका की सम्यक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये प्रमुख खतरा उत्पन्न करता है।

??????????:

प्रश्न: भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. न्यायकि हरिसत का अर्थ है कि अभयिक्त संबंघति मजसिट्रेट की हरिसत में है और ऐसे अभयिक्त को पुलसि स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में ।
2. न्यायकि हरिसत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलसि अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बनिा संदग्धि व्यक्तीसे पूछताछ नहीं कर सकते ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????????:

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में वधिविरुद्ध क्रयिकालाप (नवारण) अधनियिम, (यू. ए.पी. ए.), 1967 और एन. आई. ए. अधनियिम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है । मानवाधिकार संगठनों द्वारा वधिविरुद्ध क्रयिकालाप (नवारण) अधनियिम का वरिध करने के वसितार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परविश के संदर्भ में परविरतनों का वरिश्लेषण कीजयि । (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-verdict-on-newslick-adherence-to-due-process>

